



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 829 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 13, 2001/कार्तिक 22, 1923

No. 829]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 2001/KARTIKA 22, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2001

का. आ. 1125(अ).—संविधान के अनुच्छेद 243यख के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा यह निदेश देते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243यघ और 243यङ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. यू-11013/2/94-यू.टी.एल.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2001

S.O. 1125(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 243ZB of the Constitution, the President hereby directs that the provisions of articles 243ZD and 243ZE of the Constitution shall not apply to the National Capital Territory of Delhi.

[F. No. U-11013/2/94-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.